

किम वान्सू

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 15 सन् 2025)

02 जनवरी 2025

[न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार एवं न्यायमूर्ति संजय कुमार]

विचारणीय मुद्दा

आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग के संबंध में मुद्दा उठा।

हेडनोट्स

भारतीय संविधान – अनुच्छेद 226 – दं.प्र.सं., 1973 – धारा 482 – आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना – अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति का आह्वान– कंपनी को भुगतान में चूक करने के लिए अपीलकर्ता– विदेशी नागरिक और प्रोजेक्ट मैनेजर सहित आरोपियों के खिलाफ धारा 406, 420, 323, 504, 506 और 120-बी भा.दं.सं. के तहत एफआईआर दर्ज की गई – अपीलकर्ता ने एफआईआर को रद्द करने की मांग की– हालाँकि, उच्च न्यायालय ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया – सत्यता:

अवधारित किया गया: सामान्यतः आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में की जाएगी– लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के आह्वान में नहीं किया जा सकता है – अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है– इन तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के संबंध में एफआईआर और उसके अनुसरण में आगे की सभी कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करके गलती की– एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें कथित अपराध का खुलासा नहीं किया गया है और न ही इसमें कुछ और जोड़ा गया है– अस्पष्ट आरोपों के अलावा, बाकी आरोपों को यदि सच भी मान लिया जाए तो भी उनसे किसी अपराध का खुलासा नहीं होता और अपीलकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता– ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए कहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा और इस तरह, एफआईआर और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करके हस्तक्षेप न करना, न्याय की विफलता होगी – उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है– अपीलकर्ता के विरुद्ध एफआईआर और उसके अनुसार सभी आगे की कार्यवाही रद्द और अपास्त की जाती है। [पैरा 6, 10, 12–14]

उद्धृत केस लॉ

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य 1990 आईएनएससी 363 : [1990] सप. 3 एससीआर 259 : एआईआर 1992 एससी 604; पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य 1997 आईएनएससी 714 : [1997] सप. 5 एससीआर 12 : एआईआर 1998 एससी 128; ईस्टर्न स्पेज मिल्स बनाम राजीव पोद्दार, एआईआर 1985 एससी 1668; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंगा स्वामी 2004 आईएनएससी 404 : [2004] सप. 3 एससीआर 147 : (2004) 6 एससीसी 522; मोहम्मद वाजिद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2023 आईएनएससी 683: [2023] 11 एससीआर 313: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 951 – संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; दं.प्र.सं., 1973; दंड संहिता, 1860

कीवर्ड की सूची

अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति का आह्वान; आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना; विदेशी नागरिक; भुगतान में चूक; एफआईआर को रद्द करना; धारा 482 दं.प्र.सं. के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति; अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति; प्रक्रिया का दुरुपयोग; अस्पष्ट आरोप; परियोजना प्रबंधक; न्याय की विफलता।

मामला निम्न से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 15/2025
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 8063 सन् 2020 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 26.08.2020 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता एम. शोएब आलम, वरिष्ठ अधिवक्ता, तल्हा अब्दुल रहमान, एम. शाज खान, अदनान यूसुफ।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता पल्लव शिशोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिव्येश प्रताप सिंह, रजत सिंह, अंदलीब नकवी, सार्थक चंद्र, अरुण प्रताप सिंह राजावत, दानिश जुबैर खान, डॉ. लोकेन्द्र मलिक।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 8063 सन् 2020 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2020 के विरुद्ध योजित की गई है, जिसमें पुलिस थाना, सदर बाजार, जिला मेरठ में पंजीकृत एफआईआर संख्या 64 सन् 2020 को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। इसके अलावा, इसके तहत यह आदेश दिया गया था: –

*“हालांकि, एफआईआर में लगाए गए आरोपों, धारा 157, दं.प्र.सं. के प्रावधानों और **जोगिंदर कुमार बनाम उ.प्र. राज्य 1994, क्रि.एल.जे. 1981** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त मामले में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि जांच के दौरान उसके खिलाफ विश्वसनीय सबूत उपलब्ध न हो जाएं या धारा 173 (2), दं.प्र.सं. के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत न हो जाए, जो भी पहले हो।”*

3. दिनांक 14.10.2020 को इस न्यायालय ने नोटिस जारी किया तथा विषयगत एफआईआर के आधार पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। उक्त आदेश अभी भी लागू है।

4. आक्षेपित निर्णय तक पहुंचने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: –

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में केवल 'एचएमआईएल') ने हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया एलएलपी (संक्षेप में 'एचईसी इंडिया एलएलपी') को गुड़गांव, एचएमआई प्रोजेक्ट, आरसी वर्क्स (जिसे आगे 'प्रोजेक्ट' कहा जाएगा) नामक परियोजना के निर्माण और विकास के लिए एक अनुबंध दिया। उक्त कंपनियों के बीच दिनांक 20.10.2017 को समझौता हुआ था और अपीलकर्ता एचईसी इंडिया एलएलपी का परियोजना प्रबंधक था। वह एक विदेशी नागरिक है। एचईसी इंडिया एलएलपी ने कार्य का उप-अनुबंध केओटीईसी ऑटोमोटिव सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में, 'कोटेक') को दिया, जिसने बदले में आरसी निर्माण कार्य का उप-अनुबंध मेसर्स वाईएसएसएस इंडिया कंस्ट्रक्शन (संक्षेप में, 'वाई.एस.एस.एस.') को दिया और 'वाईएसएसएस' ने आगे जनशक्ति प्राप्त करने के लिए मेसर्स आरटी कंस्ट्रक्शन के साथ उप-अनुबंध किया, जो कि शिकायतकर्ता (यहां प्रतिवादी संख्या 4) की इकाई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 'वाईएसएसएस' ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके शिकायतकर्ता की कंपनी को भुगतान नहीं किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संबंधित एफआईआर भारतीय दंड संहिता, 1860 (एतस्मिनपश्चात्, 'आईपीसी' के रूप में सन्दर्भित) की धाराओं 406, 420, 323, 504, 506 और 120-बी के तहत अपीलकर्ता सहित आरोपियों के खिलाफ इस आरोप पर दर्ज की गई थी कि 'वाईएसएसएस' ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कंपनी को 9 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद, अपीलकर्ता को दं.प्र.सं., 1973 (एतस्मिनपश्चात्, 'सीआरपीसी' के रूप में सन्दर्भित) की धारा 91 के तहत जारी किए गए दिनांक 06.08.2020 और 09.09.2020 को शून्य तारीख के नोटिस प्राप्त हुए, जिसमें उसे कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया। यद्यपि अपीलकर्ता ने विवेचनाधिकारी के समक्ष अपने पास मौजूद दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन उसे और अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस प्राप्त हुए, जो उसके अनुसार उसके पास नहीं हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों में तथा विभिन्न तर्कों को उठाते हुए अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एफआईआर को रद्द करने की मांग की, जिसे इन कार्यवाहियों में अनुलग्नक पी-9 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

5. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष विषयगत एफआईआर को रद्द करने के लिए अपनी प्रार्थना का समर्थन करने के लिए कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वे असफल रहे हैं। उन्होंने हमारे समक्ष भी ऐसे तर्क दोहराए। लेकिन ऐसे तर्कों और विवादित निर्णय के खिलाफ चुनौती पर विचार करने से पहले विषयगत एफआईआर से संबंधित कथनों का संदर्भ लेना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं: -

“उपर्युक्त सभी लोगों द्वारा आवेदक को हानि पहुंचाने और स्वयं लाभ कमाने की नीयत से मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचने, आवेदक के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी करने और आवेदक के धन का दुरुपयोग करने के संबंध में – माननीय महोदय, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ताहिर, पार्टनर मेसर्स आरटी कंस्ट्रक्शन, 202 बी/9, ग्राउंड फ्लोर, थाटवारी कॉम्प्लेक्स, वेस्टएंड रोड, मेरठ पब्लिक स्कूल के पास, मेरठ एंट, मेरठ लंबे समय से अपना व्यवसाय कर रहा है। आवेदक लगभग पिछले 30 वर्षों से निर्माण का व्यवसाय कर रहा है। आवेदक के भाई नासिर और पार्टनर रविन्द्र आवेदक के साथ उक्त व्यवसाय की देखभाल करते हैं। आवेदक अन्य कंपनियों को कुशल और अकुशल श्रमिकों की सेवाएं प्रदान करने सहित निर्माण में विभिन्न सेवाएं प्रदान करता रहा है। उपर्युक्त क्रमांक - 6 सेउंग ह्वी, हेर (प्रबंध निदेशक) यू सेउंग सांग सा इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (वाई.एस.एस.एस.), जो कि मुख्य कंपनी मेसर्स हुंडई मोटर इंडिया ग्रुप की सहायक कंपनी है, ने दिनांक 15.06.2018 को आवेदक को एक कार्य आदेश जारी किया था क्योंकि आवेदक लंबे समय से कोरियाई कंपनी को मजदूर उपलब्ध करा रहा है। इसलिए, आवेदक की सद्भावना के आधार पर, उपरोक्त लोगों ने आवेदक की मेल आईडी पर कार्य आदेश भेजा, जिसकी फोटो कॉपी उपरोक्त व्यक्ति द्वारा अपने कर्मचारी के माध्यम से मेरठ में उनके घर पर आवेदक को भेजी गई थी। प्रार्थी ने उपरोक्त सभी व्यक्तियों से विचार-विमर्श कर अन्तिम दरें तय की तथा उक्त कम्पनी के अधिकारियों की सहमति के बाद मेरठ में अनुबंध तैयार किया गया तथा कार्य सौंपा गया। प्रार्थी की कम्पनी ने अगस्त 2018 से 2019 तक उपरोक्त कम्पनी की आवश्यकतानुसार मजदूर उपलब्ध कराये, जिसके लिए प्रार्थी ने समय-समय पर बिल बनाकर उपरोक्त व्यक्तियों को दिये। बिल लगभग 9 करोड़ रुपए का था, जिसमें से उक्त कंपनी ने आवेदक को समय-समय पर 1, 70, 51, 000/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रुपए का भुगतान किया। इसके बाद आवेदक को गुमराह करते हुए 8,31,94,200/- रुपए का अतिरिक्त काम करवाया गया। आवेदक ने अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि आवेदक को लगा कि यह एक विदेशी कंपनी है और भारत को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। काम पूरा होने के बाद, मेसर्स यू सेउंग सांग सा इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (वाई.एस.एस.एस.) ने आवेदक की साझेदारी फर्म के पक्ष में लगभग 8,31,94,200/- रुपये के चेक जारी किए, जो सभी बाउंस हो गए। आवेदक ने मेसर्स हुंडई मोटर इंडिया, जो कि मुख्य कंपनी है, की शिकायत की, जिस पर मेसर्स यू सेउंग सांग सा इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (वाई.एस.एस.एस.) को बुलाया गया तथा कोई मामला दर्ज न करने का समझौता किया गया तथा अब हमारी दूसरी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मेसर्स कोटेक ऑटोमोटिव सर्विस इंडिया (प्रा.) लिमिटेड आपको भुगतान करेगा क्योंकि मेसर्स यू सेउंग सांग सा इंडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (वाई.एस.एस.एस.) के पास आवेदक के प्रति सबसे बड़ी देनदारी थी, जो लगभग 8,31,94,200/- रुपये थी। उपर्युक्त कंपनी मेसर्स हुंडई मोटर इंडिया ने आवेदक के साथ 16 व्यक्तियों के भुगतान का निस्तारण किया और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मेसर्स खान ओटीईसी ऑटोमोटिव सर्विस इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, जो उपर्युक्त कंपनी का एक हिस्सा है, को पैसों को संभालने के लिए नामित किया। उक्त कम्पनी के अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की कि अब आवेदक को मात्र 7,67,30,826/- रुपये का भुगतान किया जायेगा, जिस पर आवेदक ने सहमति व्यक्त की। इसमें से 40 प्रतिशत भुगतान उक्त कम्पनी द्वारा तुरन्त किया जाना था तथा शेष भुगतान दो माह पश्चात किया जाना था। उपरोक्त कम्पनियों के अधिकारियों ने इस सुलहनामे को लिखित रूप में कम करके उसकी एक प्रति आवेदक को दे दी तथा 30 नवम्बर 2019 को 61,38,446/- रुपये तथा 2,45,53,864/- रुपये के दो चेक भी दे दिये, जिनमें से 61,38,446/- रुपये का चेक भुना लिया गया तथा शेष 2,45,53,864/- रुपये का चेक अनादरित हो गया। आवेदक उपरोक्त व्यक्तियों के पास बार-बार जाता रहा, परन्तु उपरोक्त सभी व्यक्ति बहाने बनाकर आवेदक को टालते रहे। आवेदक तथा आवेदक का भाई नासिर दिनांक 03.10.2019 को उपरोक्त व्यक्तियों के कार्यालय में भुगतान मांगने गये, परन्तु उपरोक्त व्यक्तियों ने आवेदक, उसके भाई तथा साथी रविन्द्र कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया, अभद्रता की तथा दोबारा वहां जाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा, कई बार किए गए फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। आवेदक के भाई नासिर अली खान शेष राशि के लिए उपरोक्त व्यक्तियों के कार्यालय का चक्कर लगाते रहे, लेकिन “उपर्युक्त व्यक्तियों ने आवेदक और उसके भाई नासिर अली खान को कोई पैसा नहीं दिया। इसके बजाय, उपरोक्त व्यक्तियों के कार्यालय में अंतिम यात्रा पर, उपरोक्त व्यक्तियों ने आवेदक के भाई के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक के भाई को गंभीर आघात लगा और जिसके कारण आवेदक के भाई नासिर अली खान का दिनांक 30.01.2020 को निधन हो गया। आवेदक के पास उपरोक्त व्यक्तियों के कृत्यों के सबूत दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित रूप से मौजूद हैं, जो सभी आवेदन के साथ संलग्न हैं। उपरोक्त सभी व्यक्ति आवेदक और अन्य व्यक्तियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन करने के लिए अपनी कंपनी के माध्यम से आपराधिक साजिश और जाली दस्तावेजों में लिप्त हैं। आवेदक ने उक्त मामले की शिकायत सदर बाजार थाने में दर्ज कराई है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि कृपया सदर बाजार थाने के प्रभारी अधिकारी को आदेशित करने की कृपा करें कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा आवेदक को उक्त व्यक्तियों से उक्त राशि वसूलने में सहायता प्रदान की जाए।"

(प्रभाव वर्धित)

6. उपरोक्त उद्धृत विषयगत एफआईआर में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने से पहले, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के संबंध में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ लेना उचित है। यह सच है कि सामान्यतः आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग उच्च न्यायालय की धारा 482, दं.प्र.सं. के तहत निहित शक्ति के प्रयोग से की जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य मामले में स्पष्ट की गई थी। दं.प्र.सं. के वैधानिक प्रावधानों और इस न्यायालय के पहले के निर्णयों पर विचार करने के बाद, उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने माना कि निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों में, अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। इस न्यायालय ने आगे यह टिप्पणी की और अवधारित किया कि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर फार्मूला और असंख्य प्रकार के मामलों की विस्तृत सूची निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और इस श्रेणी में आने वाले निम्नलिखित मामलों को समाहित किया जाना चाहिए: -

"102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर फॉर्मूले को निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध बनाते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना शामिल है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

7. उक्त स्थिति को इस न्यायालय ने **पेप्सी फूड्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य** में दोहराया था। इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय आपराधिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और वह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 या धारा 482, दं.प्र.सं. के तहत इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा, यह माना गया कि उस शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

8. जांच के चरण में ही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संबंध में, **ईस्टर्न एसपीजी मिल्स बनाम राजीव पोद्दार** मामले में इस न्यायालय ने अवधारित किया कि उच्च न्यायालय जांच में हस्तक्षेप कर सकता है, यदि हस्तक्षेप न करने से न्याय में चूक होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

9. **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंग स्वामी** मामले में इस न्यायालय ने पुनः यह अवधारित किया कि जहां एफआईआर में अपराध के होने का खुलासा नहीं किया गया हो और उसमें कुछ जोड़ा या घटाया न गया हो, तो उक्त एफआईआर को रद्द किया जा सकता है।

10. हमने पहले ही विषयगत एफआईआर में प्रासंगिक विवरण निकाल लिए हैं। इसके तहत लगाए गए आरोपों की हमारी सूक्ष्म जांच के बावजूद, कुछ अस्पष्ट आरोपों को छोड़कर, अपीलकर्ता के खिलाफ या 'एचईसी इंडिया एलएलपी' नाम की कंपनी के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं देखा जा सका, जिसमें वह प्रोजेक्ट मैनेजर था। इसके अलावा, संबंधित एफआईआर की जांच से पता चलता है कि कुछ आरोप लगाने के बाद, शिकायतकर्ता अर्थात् चौथे प्रतिवादी ने इसमें नामित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल है, ताकि शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता को इसमें उल्लिखित राशि की वसूली में मदद मिल सके। इस संदर्भ में, यह देखा जाना चाहिए कि आरोपों से यह पता चलता है कि लगभग 9 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान में चूक करने की शिकायत अपीलकर्ता या उस कंपनी के खिलाफ नहीं की गई थी जिसमें वह परियोजना प्रबंधक था, जबकि यह एक अलग कंपनी/विभिन्न कंपनियों के खिलाफ की गई थी।

11. प्रासंगिक स्थिति में, **मोहम्मद वाजिद एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना भी प्रासंगिक है, जिसके अंतर्गत इस न्यायालय ने, जहां तक यह प्रासंगिक है, इस प्रकार निर्णय दिया था: –

“34.....यह पर्याप्त नहीं होगा कि न्यायालय केवल एफआईआर/शिकायत में दिए गए कथनों पर गौर करके यह पता लगाए कि कथित अपराध के लिए आवश्यक तत्वों का खुलासा किया गया है या नहीं। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मामले के अभिलेख से उत्पन्न होने वाली अनेक अन्य परिस्थितियों पर भी गौर करे, तथा यदि आवश्यक हो, तो पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ पंक्तियों के बीच के अर्थ को समझने का प्रयास करे। न्यायालय को दं.प्र.सं. की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय खुद को केवल मामले के चरण तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मामले की शुरुआत/पंजीकरण के लिए समग्र परिस्थितियों और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों को ध्यान में रखने का अधिकार है....”

12. उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में, यहां प्रस्तुत आरोपों के संदर्भ में मामले का न्याय करते हुए, हमें यह मानने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के संबंध में विषय एफआईआर संख्या 64/2020 और उसके अनुसरण में आगे की सभी कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करके स्पष्ट रूप से गलती की है।

13. संबंधित एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें कथित अपराध के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, तथा उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। इसके अलावा, अस्पष्ट आरोपों के अलावा, बाकी आरोपों को यदि सत्य भी मान लिया जाए तो भी उनसे किसी अपराध का खुलासा नहीं होगा और अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनेगा। ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ता को मुकदमे में उपस्थित रहने के लिए कहना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इस प्रकार, एफआईआर और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करके हस्तक्षेप न करना, न्याय की विफलता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. ऐसी परिस्थितियों में, यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और परिणामस्वरूप इसे स्वीकार किया जाता है और आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 8063 सन् 2020 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2020 को अपास्त किया जाता है। आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, पुलिस थाना, सदर बाजार, जिला मेरठ में पंजीकृत विषय एफआईआर संख्या 64/2020 और तदनुसार अपीलकर्ता के संबंध में आगे की सभी कार्यवाहियां रद्द और अपास्त की जाती हैं।

15. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हों, का निस्तारण कर दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: अपील को अनुमति प्रदान की गई।

हेडनोट निधि जैन द्वारा तैयार किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।